न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।

उपस्थित :– धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच0जे0एस0)

JO Code UP 2002

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 766 सन् 2026

CNR No. UPGH010015382026

राजू कुशवाहा उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र रामबाबू कुशवाहा, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर।

————आवेदक/अभियुक्त

प्रति

1–उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर
2– डा0 प्रियरंजन प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियॉ, गाजीपुर,
3– थानाध्यक्ष थाना दुल्लहपुर, जिला गाजीपुर

————विपक्षीगण

मुकदमा अपराध संख्या– 260/2025
धारा– 105 बी0एन0एस0 व धारा 34(2)राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019
थाना– दुल्लहपुर, **जिला–** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर से–श्री राजनाथ सिंह यादव, एड0
राज्य की ओर से– श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी

दिनांक 06–06–2026 :– **आदेश**

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त राजू कुशवाहा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–260/2025, अंतर्गत धारा–105 भारतीय न्याय संहिता व धारा 34(2)राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 थाना दुल्लहपुर, जिला गाजीपुर के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा डा0 प्रियरंजन, प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियॉ, गाजीपुर ने थाना दुल्लहपुर पर दिनांक 20–11–2025 को समय 16:03 बजे इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नीलम देवी ग्राम हरदासपुर खुर्द थाना दुल्लहपुर की रहने वाली है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियॉ गाजीपुर के क्षेत्र में स्थित जय पवहारी बाबा अस्पताल जलालाबाद गाजीपुर में दिनांक 18–11–2025 को नीलम देवी के भर्ती के दौरान वहॉ के डाक्टर द्वारा बच्चेदानी का आपरेशन 8 बजे किया गया जिसकी सुबह 5–00 बजे गम्भीर रूप से तबियत खराब हो गया जिसके कारण फातमा अस्पताल मउ ले जाते समय सुबह 5 बजे रास्ते में मृत्यु हो गयी। यह चिकित्सालय मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। वादी मुकदमा के तहरीर पर इस प्रकरण की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा अभिकथित अपराध कारित नहीं किया गया है उसे इस प्रकरण में गलत तौर पर फंसाया गया है। उसके द्वारा जय पवाहारी बाबा अस्पताल का संचालन नहीं किया जाता है न ही उसके द्वारा मृतका के बच्चेदानी का आपरेशन किया गया, वह उक्त अस्पताल का मात्र कर्मचारी है। पुलिस उसके घर पर दबिश दे रही है। मुकदमें में आरोपपत्र दाखिल नहीं है तथा विवेचना जारी है। वादी मुकदमा के पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं है मात्र काल्पनिक आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराकया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने के लिए तैयार है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से जमानत का विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका का लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियां, गाजीपुर द्वारा सोशलमीडिया पर वायरल के आधार पर दर्ज करायी गयी है। मृतका नीलम देवी के उपचार में आवेदक/अभियुक्त द्वारा लापरवाही बरतने के बावत मृतका के परिवार वालों अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी है अथवा कहीं भी कोई सूचना नहीं दी गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध पीड़िता के पति संजय कुमार ने भी अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका के इलाज में लापरवाही बरतने के बावत कोई कथन नहीं किया है। साक्षी संजय कुमार के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के अस्पताल में दिनांक 18.11.2025 को इलाज होना कहा गया है एवं सुबह उसे फातिमा अस्पताल मऊ ले जाना कहा गया है। फातिमा अस्पताल के डाक्टर द्वारा बताया गया कि मृतका नीलम देवी की मृत्यु हो गयी है। पत्रावली पर मृतका का पंचायतनामा रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल के बावत कोई भी प्रपत्र संलग्न नहीं हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि वह उक्त अस्पताल का कर्मचारी है। उसके द्वारा मृतका नीलम देवी का इलाज नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6– अतएव आवेदक/अभियुक्त राजू कुशवाहा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। गिरफ्तारी की दशा में आवेदक/अभियुक्त द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष मुव0 1,00,000/– रूपये का स्व बंधपत्र तथा **विधि व्यवस्था श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य {2025 एस0सी0सी0 आन लाइन इलाहाबाद 5286} एवं पप्पू मेट उर्फ पप्पू बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य मैटर्स अण्डर आर्टिकल 227 संख्या 15205/2025 निर्णय तिथि 11–12–2025** में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए सम राशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अवमुक्त कर दिया जावे कि

(क)– आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा तथा विवेचक द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

(ख)– मामले को न्यायालय में प्रेषित किये जाने की स्थिति में आवेदक/अभियुकत की व्यक्तिगत हाजरी जब तक विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जाएगी तब तक वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा,

(ग) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

(घ) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

(ड.)– आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा , जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

दिनांक: 06–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
JOCode UP-2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.06 13:29:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court